दिया। परिजनों से हुई वार्ता के बाद डा. सरकार उठाएगी।

जानकारियां भेज दी गई है। वहीं, जा रही है।

बीटेक लेट्रल एंट्री द्वितीय वर्ष में छात्रों के प्रवेश पर चर्चा

उत्तर भारत लाइव ब्यूरो
uttarbharatlive.com

देहरादून। वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू की शुक्रवार को विवि के सभागार में कुलपति प्रो ओंकार सिंह की अध्यक्षता में विद्या परिषद की 13वीं आकस्मिक बैठक सम्पन हुई। विद्या परिषद की उक्त बैठक में संस्थानों द्वारा बीटैक लेट्रल एंट्री द्वतीय वर्ष में ऐसे छात्रों के प्रवेश दिये जाने के प्रकरण प्रस्तुत किये गये जिन्होंने उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किया है अथवा उत्तराखण्ड प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं हैं से संबंधित प्रकरण पर चर्चा हुई। विद्या परिषद की बैठक में विवि के ऑर्डिनेंसेस में बीटैक लेट्रल एंट्री द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु छात्रों की अर्हता तथा विवि परिनियमावली में दी गई व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से छात्रों की पात्रता के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2022-23 में बीटैक लेट्रल एंट्री द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु विवि ऑर्डिनेंसेज में दी गयी व्यवस्था अनुसार प्रथमतः छात्र एआईसीटीई के मानदण्डों के अनुसार उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंजीनियरिंगमें तीन/चार वर्षीय डिप्लोमापास किया हो प्रवेश के लिएपात्र हैं। बैठक में यह अवगत कराया गया है कि

- यूटीयू की 13वीं बैठक में कई बिन्दुओं पर बनी सहमति
- विवि केकुलपति प्रो ओंकार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक

संस्थानों में बीटैक लेट्रल एंट्री द्वितीय वर्ष मेंसीट रिक्त रहने की दशा में प्रवेश पाये ऐसे छात्र-छात्राएं हैं जो न तो उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से डिप्लोमा उत्तीर्ण हैं अथवा न ही उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हैं बल्कि दूसरे राज्यों से उत्तीर्ण डिप्लोमा होल्डरर्स को संस्थानों द्वारा प्रवेश दिया गया है। विवि की प्रथम परिनियमावली-2018 के 6.07(2) में दी गयी व्यवस्था अनुसार राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मैरिट के आधार पर भरी जा सकेगी तथा इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने की दशा में राज्य कोटे से मैरिट के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है। सीटे रिक्त रहने पर मैरिट से भरी जायेंगी। उक्त के क्रम में विवि परिनियमावली के प्राविधानों के आलोक में विद्या परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए यह अनुमोदन प्रदान किया गया कि ऐसे संस्थान इस आशय का एक शपथ पत्र विवि को देंगे कि सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी/उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश दिया गया है और उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी अथवा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की से छात्र-छात्राओं के उपलब्ध नहीं होने की दशा में एआईसीटीई के मानदण्डों के अनुसार अन्य राज्यों/भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/परिषदों से ही 3/4 वर्ष के डिप्लोमाउत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिया गया है, अन्यथा की स्थिति में दिये गये प्रवेश अमान्य होंगे जिसके लिये संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा। बैठक में विद्या परिषद के सदस्य डा. आरपी एस गंगवार, निदेशक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, डा.सतेन्द्र सिंह निदेशक बीटीकेआईटी, द्वारहाट, डॉ हरप्रीत सिंह ग्रेवाल निदेशक डीबीएस देहरादून, निदेशक जेबीआईटी देहरादून आदि मौजूद रहे।